

# कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

सं-३७८ / रा०वि०आ०-पा०नि० / नि०का० / टेण्डर / 2023-24

दिनांक २३ अगस्त, 2023

## अति अल्पकालिक निविदा सूचना

राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यों में से निम्नलिखित 01 फर्मों/ठेकेदारों से दिनांक 01.09.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में, 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एंव 3- उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय में सीलबन्द आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच के कार्यालय कक्ष में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय एंव अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष सायं 4:30 बजे खोली जायेगी। निविदा के साथ रु० 100.00 के स्टाम्प ऐपर पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप) तथा 02 % धरोहर धनराशि की एन०एस०सी० / एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० / सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक धरोहर/जमानत धनराशि टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा। निविदा फार्म नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच कार्यालय एंव उपजिलाधिकारी बहराइच कार्यालय से दिनांक 29.08.2023 को कार्यालय अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बंधित निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट -WWW.bahraichnpp.in पर देखी जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	02 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जौ०एस०टी० 18 %	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य समाप्त करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हुजूरपुर बस स्टैण्ड के पास पुलिया निर्माण एंव पहुँच मार्ग का निर्माण का कार्य।	837580.00	16800.00	850.00	153.00	1003.00	एक माह

### शर्ते-

- 1- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एंव कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- 2- सील बन्द निविदायें अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बहराइच एंव उपजिलाधिकारी बहराइच के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 01.09.2023 को सायं 4:00 बजे तक ही निविदायें डाली जायेगी, जो उसी दिन 4:30 बजे अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बहराइच के कार्यालय में खोली जायेगी।
- 3- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा की बिकी एंव प्राप्त होने तथा खोलने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा बिकी एंव प्राप्त होने तथा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।
- 4- निविदा स्वीकृत/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 5- कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग फोटो ग्राफ देना होगा एंव कार्य प्रारम्भ से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को लगाना होगा।
- 6- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- 7- निविदा स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ की सूचना अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को लिखित रूप में ठेकेदार को देना होगा। तदुपरान्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 8- कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 9- प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र०० शासन लखनऊ के पत्र स०- 24वी०आई०पी०(1)/नौ-५-२०१७-१२०बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर -2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष का अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार/फर्म की होगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारंटी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रखरखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
- 10- नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर फार्म क्य करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा के साथ पंजीकरण,

चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11— स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करानी होगी।


12— नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को छोड़कर अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण करना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

13— कार्य हेतु तीन-तीन निविदायें प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर कार्यवाही की जायेगी।


14— प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बंध में किसी का दावा स्वीकार नहीं होगा।

15— उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।

16— उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।

  
(प्रमिता सिंह)

अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।

  
Sudha Devi

(सुधा देवी)  
अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।

पृ0स0 एवं दिनांक— उपरोक्त

प्रतिलिपि—

- 1— जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्रों की पांच-पांच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निविदा फार्मों की बिकी हेतु किसी कर्मचारी को अधिकृत करने के साथ – साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर टेण्डर बाक्स में पड़े निविदा फार्मों को खोलने का कष्ट करें।
- 2— प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को उपरोक्त निर्माण कार्यों के निविदा फार्मों की पांच-पांच प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा फार्मों की बिकी तथा निविदा फार्मों को जमा किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को अधिकृत करने की कृपा करें।
- 3— कार्यालय जिलाधिकारी बहराइच/उपजिलाधिकारी बहराइच/नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।

  
आधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद,  
बहराइच।